FAX

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग

सं0–3 / जी0(ए0सी0डी0सी0)–175–07 / 2012– 1384

प्रेषक,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय उपनिदेशक, कल्याण
सभी जिला कल्याण पदाधिकारी (नालंदा एवं सुपौल जिला को छोड़कर)
लेखा शाखा, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग।

पटना–15, दिनांक– 18/7/2012

विषय :–मुख्य सचिव के कार्यालय कक्ष में आयोजित AC/DC विपत्रों से संबंधित बैठक के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपयुर्क्त विषयक प्रसंग में कहना है कि मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–832, दिनांक–13.07.12 द्वारा सूचित किया गया है कि अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग के तहत AC/DC विपत्रों से संबंधित समीक्षा मुख्य सचिव, बिहार के कार्यालय कक्ष में दिनांक–25.07.12 को 10:00 बजे दिन में की जायेगी। विभाग द्वारा पूर्व में आपको विभागीय ज्ञापांक–965, दिनांक–22.05.12 एवं पत्रांक–1222, दिनांक–27.06.12 द्वारा वित्त विभाग द्वारा प्रेषित प्रपत्र में वर्ष 2002–03 से 2007–08, 2008–09 से 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 में सार विपत्र पर निकासी की राशि के विरूद्ध डी0सी0 विपत्र कें संबंध में सूचनायें की मांग की गई थी। उक्त सूचनायें अबतक आपके स्तर से प्राप्त नहीं हुआ है। आपको यह भी सूचित करना है कि अबतक आपके स्तर से कितनी राशि का डी0सी0 विपत्र महालेखाकार, बिहार को भेजा जाना शेष है। सम्बन्धित प्रतिवेदन मुख्य सचिव, बिहार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना है ।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर प्रतिवेदन दिनांक–21.07.12 तक विशेषदूत या फैक्स के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन,

17/7/12

सरकार के अपर सचिव।

Letter-under sec